

मूल वाद में डिक्ली
(आदेश 20, नियम 6-7, जाया कीयागी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता

राजस्व वाद संख्या :- 205/2023

सुखप्रीत कौर पुत्री बन्तारसिंह जाति जलरिसव निवासी बिलवाली कला तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ़।

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

—प्रतिवादी

वादा अन्तर्गत धारा :- 68 आर.टी.ए.घोषणा व 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 21.5.2024

वादीया की ओर से श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता की व विरोधकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख को स्वाति गुप्ता उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्ली दी जाती है कि चक नम्बर 644 आर.टी. के जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 110/5, चक नम्बर 1 जीजीआर के जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 74/67 तथा चक नम्बर 1 जीजीआर के जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 7/3 में दर्ज डिन्डकौर पुत्री बन्तारसिंह के स्थान पर सुखप्रीत कौर पुत्री बन्तारसिंह नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किये

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्गीत भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किरम (यथा नहरी/बाशानी/मैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चों फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्ली आज दिनांक 21.5.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर



(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्च

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
प्रदर्शी के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
रुपयों पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की सामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की सामिल	---	योग	---
योग	---		

